Group Discussion

On

“Should the Age of Marriage of Women be raised to 21 Years?”

Organised By

Department of Commerce

Date: 01-01-2022

कन्या महाविद्यालय खरखौदा में वाणिज्य विभाग के द्वारा एक समूह चर्चा का आयोजन किया गया जिसका विषय था - "क्या लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी जाए"? इस विषय पर छात्राओं ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि आयु बढ़ाने से महिला अधिक सशक्त होंगी उन्हें पढ़ने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे तथा शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी। विषय के विपक्ष में विचार प्रस्तुत करें वाली छात्राओं ने कहा कि 18 वर्ष की लड़की यदि वोट के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुन सकती है तो जीवन साथी क्यों नहीं? प्राचार्या श्रीमती डॉ० सुरेश बूरा जी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिनियम लड़कियों के जीवन में बदलाव लाएगा क्योंकि इससे उन्हें पढ़ने एवं स्वावलंबन की तरफ अग्रसर होने के अधिक अवसर मिलेंगे इसके साथ साथ शारीरिक तौर पर परिपक्व महिलाएं अधिक समस्त बच्चों को जन्म दे सकती है तथा उनके स्वास्थ्य के लिए भी उचित है। इस अवसर पर 40 छात्र उपस्थित रही तथा 15 छात्राओं ने इस चर्चा में भाग लिया। प्राचार्या ने पूरे विभाग को नववर्ष की बधाई देते हुए सब के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की । कार्यक्रम का सफल आयोजन डॉ०प्रमिला तथा डॉ० नमिता के निर्देशन में किया गया।

Photo Gallery

GPS Map Camera
Kharkhoda, Haryana, India
VWM7+222, Kharkhoda, Haryana 131402, India
Lat 28.882417°
Long 76.912266°
01/01/22 09:34 AM
Google

News Corner Dainik Gagran (02-01-2022)

विवाह के लिए 21 की उम्र महिलाओं को करेगी सशक्त

संवाद सहयोगी, खरखौदा: शहर के कन्या कालेज में शनिवार को एक समूह चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने पर अपने तर्क और वितर्क रखे। इस दौरान ज्यादातर छात्राओं ने इस सही ठहराया। प्राचार्य डा. सुरेश बूरा ने भी लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 21 करने को सही ठहराया। छात्राओं ने कहा कि आयु बढ़ाने से महिलाएं अधिक सशक्त होंगी उन्हें पढ़ने के लिए अधिक अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी। दूसरी तरफ कुछ छात्राओं ने कहा कि यदि 18 वर्ष की लड़कियां वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकती हैं तो फिर अपने जीवनसाथी का क्यों नहीं कर सकती हैं, 18 की उम्र में युवा अपनी लिए सही और गलत का चुनाव करने में सक्षम हो जाता है। इस दौरान प्राचार्य सुरेश बूरा ने कहा कि सरकार के द्वारा प्रस्तावित अधिनियम लड़कियों के जीवन में बदलाव लाएगा, क्योंकि इससे लड़कियों के पढ़ने में समय मिलने के साथ ही स्वावलंबन की तरफ अग्रसर होने में अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इस दौरान डा. प्रमिला और डा. निमिता मौजूद रही।

कन्या महाविद्यालय में कराई समूह चर्चा

सोनीपत - हरिभूमि

खरखौदा। शहर के कन्या कालेज में शनिवार को एक समूह चर्चा का आयोजन किया गया। जिसमें छात्राओं ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने पर अपने तर्क व वितर्क रखे। इस दौरान ज्यादातर छात्राओं ने इस सही ठहराया। प्राचार्य डा. सुरेश बूरा ने भी लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 21 करने को सही ठहराया। इस दौरान ज्यादातर छात्राओं ने कहा कि आयु बढ़ाने से महिलाएं अधिक सशक्त होंगी उन्हें पढ़ने के लिए अधिक अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी। इतना ही नहीं 21 की उम्र के बाद शादी करने से महिलाएं स्वस्थ बच्चों को जन्म दे पाएंगी। जबकि दूसरी तरफ छात्राओं ने कहा कि यदि 18 वर्ष की लड़कियां वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकती हैं तो फिर अपने जीवनसाथी का क्यों नहीं कर सकती हैं, 18 की उम्र में युवा अपनी लिए सही व गलत का चुनाव करने में सक्षम हो जाता है।